

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर,

क्रमांक- प.1(1)(1252)आ.कृ/गुप-7/3754-59

दिनांक: 09/02

-: आदेश :-

कृषि आयुक्तालय के आदेश क्रमांक प-2(3)(जी-36)आ.कृ./गुप-7/3586-3615 दिनांक 12.01.2016 द्वारा अभ्यर्थियों का चयन कनिष्ठ अभियंता के पद पर किया जाकर इन्हें कार्यभार संभालने की तिथी से 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्ति की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाकर निर्देशित किया गया था कि वे आदेश प्रसारित होने की तिथी से 30 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण करें।

श्री कृष्ण कुमार सोनी ने विभिन्न कारणों से कार्यग्रहण करने की अवधि में छूट चाही है:-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	मैरिट संख्या	पता	कारण	पदस्थापन कार्यालय	कार्यग्रहण में छूट की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री कृष्ण कुमार सोनी	-	मकान न. 83 खारा कुंआ ममादेव वैर जिला भरतपुर	एम.टैक कृषि व्यवस्ता अभियान्त्रिकी अध्ययन करने के कारण	सहायक अभियन्ता (पी.आई.ए.) पंचायत समिति नागौर जिला नागौर	30.06.2016

श्री कृष्ण कुमार सोनी को कॉलम संख्या 7 में अंकित अवधि तक स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यग्रहण करने की छूट प्रदान की जाती है।

(डॉ० नीरज कुमार पवन)

आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव कृषि,

क्रमांक- प.1(1)(1252)आ.कृ/गुप-7/3754-59

दिनांक: 9-2-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण राज0 जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् नागौर।
3. अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद् नागौर।
4. सहायक अभियन्ता (पी.आई.ए.) पंचायत समिति नागौर जिला नागौर।
5. श्री कृष्ण कुमार सोनी, मकान न. 83 खारा कुंआ ममादेव वैर जिला भरतपुर।
6. आरक्षी पत्रावली।

(सोमेन्द्र शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)